फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

शांतिदेवी बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट न.मु.– 25/2023 GCMS No. - 2023/127

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.08.23	यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थीनी श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री राजू राम पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासीनी ग्राम हीरावती तह. लाडनूं जिला नागौर हाल निवासीनी छिमाला तालाब की ढाणियां, ग्राम खाखोली, तहसील मोलासर, जिला नागौर राजस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।	

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही बिलगां की जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 71 में सन्तु पुत्र मालाराम दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थीनी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार शांति देवी है। प्राथीर्नी का नाम शांतिदेवी पुत्री मालाराम किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने अपने पत्रांक 146 दिनांक 04.04.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीनी हाल निवासीनी छिमाला तालाब की ढाणियां ग्राम खाखोली तहसील मौलासर जिला नागौर की रहने वाली है। अतः जांच रिपोर्ट वहां से मंगवाई जानी उचित है। जिसके संबंध में तहसीलदार लाडनूं से रिपोर्ट ली गई। जिसके मुताबिक प्रार्थीनी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में शांतिदेवी है तथा जमाबंदी में नाम सन्तु है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट ओडिन्ट शांतिदेवी व सन्तु एक ही व्यक्ति के नाम हैं।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात, शपथ–पत्र एवं तहसीलदार लाडनूं जिला नागौर की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही बिलगां तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 71 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	बिलगां	71 (नया)	सन्तु पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी हीरावती खातेदार	शांतिदेवी पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी हीरावती खातेदार

राहिन की प्रविष्टि (अगर है तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.08 .2023 को लिखाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * सुजानगढ़ जिला–चूरू *